श्री हूमड़ जैन समाज

मुंबई

(Regd. Under Bombay Public Trusts Act, 1950,
No.A-2901 (Bom) of 10-12-1969.)

संविधान

संशोधित संविधान
दिनांक १ दिसम्बर १९९५ से मान्य

पंजीकृत कार्यालय :
१८८, कालबादेवी रोड, तीसरा माला, मुंबई - ४०० ००२
दूरभाष द्वारा : २०११२१२

।। ॐ नमः सिध्देभ्यः ।।

संविधान

श्री हूमड़ जैन समाज

मुंबई

(Regd. Under Bombay Public Trust Act, 1950, No.A-2901 (Bom.)of 10. 12.1969)

१८८, कालबादेवी रोड, तीसरा माला, बम्बई- ४०० ००२.

"स्थापित वीर संवत २४५८"

१. **नाम :**

इस संस्था का नाम "श्री हूमड़ जैन समाज" है।

२. **कार्यालय :**

इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में रहेगा। अन्य स्थानों में इसकी शाखॉऐं स्थानीय कार्यालय के रूप में कार्य करेंगी।

३. **उद्देश्य :**

सेवा के साथ साथ जन कल्याण एवं समाज का संगठन करना तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, नैतिक, व्यवसायिक एवं औद्योगिक उन्नति करना।

४. **साधन :**

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित एवं अन्य योजनाऐं बनाना :-

(क) किसी भी समस्या एवं कुरीति- रिवाजों का वैचारिक आदान-प्रदान द्वारा निवारण करना एवं उसके लिए उचित प्रचार करना।

(ख) असहाय, असमर्थ, बेरोजगार, निराश्रित, अपाहिज, वृद्ध, अपंग, रोगी, दर्दी, दुःखी व्यक्तियों एवं विधवाओं की सेवा करना एवं उनके जीविकोपार्जन के साधन जुटाना तथा आर्थिक सहायता करना।

(ग) औद्योगिक एवं व्यवसायिक विकास के लिए मार्गदर्शन करना, योजनाऐं बनाना, आजीविका उपार्जन मे सहयोग देना तथा उचित आर्थिक सहायता करना।

(घ) संस्था के उद्देश्यों में रूचि रखनेवाली अन्य संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करना एवं परस्पर सहयोग करना।

(ङ) शिक्षा प्रचार के हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, एवं शैक्षणिक संस्थायें स्थापित करना, संचालन करना एवं प्रबंध करना तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को सहयोग देना। आध्यात्मिक एवं नैतिक उन्नति के लिए समय समय पर शिक्षा शिबिर, बृहद गोष्ठी, साहित्यिक परिषद, सम्मेलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(च) विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता करना।

(छ) बाढ़, अकाल, भूकंप व अन्य संकटकालीन परिस्थितियों में धन व अन्य रूप में सहायता देना।

(ज) दान, चंदा एवं अन्य वैध साधनों द्वारा धन एकत्रित करना एवं व्यय करना।

(झ) कोष बनाना एवं चल-अचल सम्पत्ति बनाना, खरीदना, बेचना आदि।

(ञ) ऐसे अन्य सभी कार्य करना जो इस संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो।

नियमावली

१. **सदस्यता:**

१८ वर्ष या इससे अधिक वय का कोई भी हूमड़ जिसे इस संस्था के उद्देश्य एवं नियम मान्य हों, सदस्य बन सकेगा। उसे इस हेतु आवेदन पत्र आवश्यक शुल्क सहित संस्था के कार्यालय में भेजना होगा। व्यवस्थापिका समिति द्वारा स्वीकृत होने पर ही स्वीकृति की तारीख से वह संस्था का सदस्य माना जायगा। व्यवस्थापिका समिति को अधिकार होगा कि वह आवेदन पत्र बिना कोई कारण बताये अस्वीकार कर सकेगी।

२. **सदस्य श्रेणी :**

(क) **सम्माननीय सदस्य :**

जो व्यक्ति आवेदन पत्र के साथ रूपये ५००१.०० (रूपया पाँच हजार एक) एक मुश्त देगा वह इस संस्था का सम्माननीय सदस्य बन सकेगा।

(ख) **संरक्षक सदस्य :**

जो व्यक्ति आवेदन पत्र के साथ एक मुश्त रूपये १००१.०० देगा वह संरक्षक सदस्य बन सकेगा।

(ग) **आजीवन सदस्य :**

जो व्यक्ति आवेदन पत्र के साथ एस मुश्त रूपये २५१.०० देगा वह आजीवन सदस्य बन सकेगा।

(घ) **साधारण सदस्य :**

जो व्यक्ति आवेदन पत्र के साथ रूपये ५१.०० प्रवेश शुल्क एवं रूपये २५.०० वार्षिक शुल्क देगा वह साधारण सदस्य बन सकेगा।

टिप्पणी :

सम्माननीय सदस्यता, संरक्षक सदस्यता एवं आजीवन सदस्यता शुल्क की धनराशि ध्रुव फंड में जमा की जायेगी।

३. **सदस्यों के कर्त्तव्य एवं अधिकार :**

(क) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहयोग देना, नियमानुसार आचरण करना एवं संस्था के लिए कार्य करना।

(ख) संस्था के साधारण एवं असाधारण अधिवेशन की कार्यवाही में भाग लेने का, मत देने का एवं चुनाव में उम्मीदवार होने का प्रत्येक सदस्य को अधिकार होगा।

(ग) सदस्यों को किसी भी साधारण अधिवेशन में सुझाव रखने का अधिकार होगा लेकिन सुझावों

का लिखित प्रारूप बैठक के तीन दिन पूर्व संस्था के कार्यालय में पहुँचना चाहिए।

४. सदस्य की समाप्ति :

(क) त्यागपत्र :

कोई भी सदस्य लिखित त्यागपत्र देकर सदस्यता से अलग हो सकता है, किन्तु ऐसे सदस्य को बकाया शुल्क जमा करवाना अनिवार्य होगा। सदस्य त्यागपत्र वापिस केवल व्यवस्थापिका समिति की अनुमति से ही ले सकता है।

(ख) समाप्ति :

जिस साधारण सदस्य का लगातार दो वर्ष का वार्षिक शुल्क बकाया हो तो व्यवस्थापिका समिति उसको १५ दिन की लिखित सूचना देने के पश्चात उसका नाम सदस्यता सूचि से निकाल सकती है। जिस सदस्य का नाम इस प्रकार पुस्तिका सदस्य से निकाल दिया गया हो, यदि बकाया शुल्क जमा करा दे तो उसका नाम वापिस सदस्य पुस्तिका में लिखा जा सकता है।

(ग) पृथकता :

जो सदस्य संस्था के उद्देश्यों एवं नियमों के विरूध्द आचरण करेगा या संस्था को हानि पहुँचायेगा अथवा हानि पहुँचाने का प्रयत्न करेगा, उसे व्यवस्थापिका समिति में उपस्थित सदस्यों की दो - तिहाई (२/३) सम्मति से पृथक कर दिया जावेगा किन्तु निर्णय लेने के पूर्व ऐसे सदस्य को व्यवस्थापिका समिति द्वारा लिखित सूचना देकर उसे व्यवस्थापिका समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

५. संस्था का वर्ष :

संस्था का वित्त वर्ष १ अप्रैल से ३१ मार्च तक होगा ।

६. साधारण अधिवेशन :

संस्था का वार्षिक साधारण अधिवेशन वित्त वर्ष की समाप्ति से ६ मास के अन्दर होगा। किन्तु किसी परिस्थिति विशेष में यदि वार्षिक साधारण अधिवेशन इस अवधि के अन्दर नहीं बुलाया जा सका तो व्यवस्थापिका समिति को यह अधिकार होगा कि वार्षिक साधारण अधिवेशन बुलाने की यथा आवश्यक अवधि बढ़ाकर, जो कि ३ मांह से अधिक न होगी, इस अधिवेशन को बुलाने की व्यवस्था करेगी। इस अधिवेशन में निम्नलिखित कार्य होंगे :-

(क) संस्था का वार्षिक कार्य-विवरण प्रस्तुत करना और स्वीकार करना ।

(ख) लेखा-परीक्षक द्वारा जाँचा हुआ वार्षिक स्थिति विवरण एवं आय व्यय विवरण प्रस्तुत करना एवं स्वीकार करना।

(ग) चालू वित्त वर्ष का अनुमान पत्रक (बजट) प्रस्तुत करना एवं स्वीकार करना।

(घ) चालू वित्त वर्ष के लिए लेखा-परीक्षक नियुक्त करना।

(ङ) व्यवस्थापिका समिति के सदस्यों का नियम ९ (क) व परिशिष्ठ (अ) के अनुसार चुनाव करना।

(च) अन्य प्रस्तावों एवं विषयों पर अध्यक्ष की अनुमति से विचार करना।

टिप्पणी :

समस्त प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत होंगे परन्तु समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष को एक मत अधिक देने का अधिकार होगा।

७. असाधारण अधिवेशन :

वार्षिक साधारण अधिवेशन को छोड़कर अन्य बुलाई गई सभी सभाऐं असाधारण अधिवेशन कहलायेगी ।

(क) अध्यक्ष या व्यवस्थापिका समिति किसी भी विशेष कार्य के लिए असाधारण अधिवेशन बुला सकेगी।

(ख) कम से कम ५१ सदस्यों द्वारा निर्दिष्ट महत्वपूर्ण कार्य के लिए लिखित प्रार्थना पत्र आने पर व्यवस्थापिका समिति ३० दिन के अंदर असाधारण अधिवेशन बुलायेगी। यदि व्यवस्थापिका समिति ऐसा असाधारण अधिवेशन उक्त अवधि में न बुलावे तो उन प्रार्थियों को ऐसा अधिवेशन उक्त अवधि के समाप्त होने के ३० दिन के अन्दर बुलाने का अधिकार होगा।

(ग) असाधारण अधिवेशन में सूचित निर्दिष्ट कार्य ही सम्पन्न होंगे।

(घ) असाधारण अधिवेशन में सभी निर्णय उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत होंगे।

टिप्पणी :

१. साधारण अधिवेशन एवं असाधारण अधिवेशन की लिखित सूचना प्रत्येक सदस्य को कम से कम १५ दिन पूर्व देनी होगी ।

२. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी भी उपस्थित सदस्य को उस सभा के लिए अध्यक्ष चुना जा सकेगा।

३. यदि किसी कारणवश किसी सदस्य को अधिवेशन की सूचना न मिले तो ऐसा अधिवेशन अवैधानिक नहीं माना जावेगा।

८. कोरम :

(क) साधारण अधिवेशन एवं असाधारण अधिवेशन का कोरम २१ सदस्यों का होगा ।

(ख) निर्दिष्ट समय के आधे घण्टे तक यदि कोरम की पूर्ति न हो तो उपरोक्त अधिवेशन स्थगित कर दिये जायेंगे और स्थगित अधिवेशन उसी दिन उसी स्थान पर निर्दिष्ट समय के एक घंटे के अन्तर्गत होगा, जिसमें कोरम की पूर्ति का प्रश्न नहीं रहेगा।

(ग) व्यवस्थापिका समिति का कोरम ५ सदस्यों का होगा।

९. व्यवस्थापिका समिति :

(क) इस संस्था के उद्देश्य एवं योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए १५ सदस्यों की एक व्यवस्थापिका समिति होगी, जिसमें ११ सदस्य निर्वाचित व ४ सदस्य निर्वाचित सदस्यों द्वारा मनोनित होंगे। व्यवस्थापिका समिति में निम्न पदाधिकारी होंगे जिनका चुनाव व्यवस्थापिका

समिति द्वारा होगा :-

१. अध्यक्ष
२. दो उपाध्यक्ष
३. मंत्री
४. उपमंत्री
५. कोषाध्यक्ष

टिप्पणी :

यदि कोई सदस्य चुनाव में असफल रहता है तो ऐसे सदस्य को निर्वाचित सदस्यों द्वारा व्यवस्थापिका समिति में मनोनित (co-opt) करने का अधिकार नहीं रहेगा।

(ख) व्यवस्थापिका समिति की अवधि दो वर्ष की होगी, परन्तु जब तक नयी समिति का चुनाव न हो जाय तब तक वर्तमान समिति कार्यरत रहेगी।

(ग) यदि व्यवस्थापिका समिति का कोई सदस्य या पदाधिकारी अवधि समाप्त होने के पूर्व किसी कारणवश समिति का सदस्य या पदाधिकारी न रहे, अथवा कोई सदस्य बिना सूचना के लगातार ४ बैठक या ३ महीने की अवधि तक जो भी अधिक हो अनुपस्थित रहे तो उनके स्थान रिक्त समझे जावेंगे और व्यवस्थापिका समिति को यह अधिकार होगा कि वह रिक्त स्थान की पूर्ति करे।

(घ) विशेष आमंत्रित :

व्यवस्थापिका समिति समय समय पर आवश्यकतानुसार किसी भी सदस्य को व्यवस्थापिका समिति की बैठक में आमंत्रित कर सकेगी जिनकी संख्या चार से अधिक नहीं होगी। ऐसे आमंत्रितगण को समिति के समक्ष संस्था की योजनाओं पूर्ति संबंधी प्रस्ताव या सुझाव रखने का अधिकार रहेगा, परन्तु ऐसे सदस्यों को मतदान करने का अधिकार नहीं रहेगा।

१०. व्यवस्थापिका समिति के कर्त्तव्य एवं अधिकार :

(क) संस्था के उद्देश्य एवं नियमों के अन्तर्गत साधनों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यकर्त्ताओं को सम्मलित, नियुक्ति, संस्था कोष तथा प्रबंध संबंधी उपनियम बनाना एवं उनके अभाव में समुचित रूप से योजनाओं तथा कार्यों का संपादन, संचालन एवं नियंत्रण करना।

(ख) संस्था के साधनों की पूर्ति के लिए धन प्राप्त करना, व्यय करना, व्यवस्था करना।

(ग) संस्था के लिए चल एवं अचल सम्पत्ति खरीदना, बेचना, बनवाना एवं बदलना आदि।

(घ) संस्था के कार्यों के संचालन में सहायता हेतू उप समितियाँ बनाना।

(ङ) प्रत्येक वर्ष संस्था का वार्षिक साधारण अधिवेशन नियम ६ के अनुसार आयोजन करना।

(च) आगामी वित्त वर्ष के लिए अनुमान-पत्रक (बजट) चालू वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व बनाना एवं पारित करना।

(छ) संस्था की अन्य स्थानों पर शाखाऐं खोलना, नियंत्रण करना व बन्द करना।

(ज) उपनियमों में निर्धारित पुस्तिकाओं के अतिरिक्त व्यवस्थापिका समिति निम्नलिखित पुस्तिकायें

रखेगी :-

१. कार्यवाही पुस्तिका
२. सदस्य पुस्तिका
३. सदस्यता आवेदन फाईल
४. आय-व्यय पुस्तिका
५. पत्र व्यवहार फाईल
६. नियम एवं उपनियम पुस्तिका

११. पदाधिकारियों के कर्त्तव्य एवं अधिकार :

(अ) अध्यक्ष :

(क) संस्था के उद्देश्यों को कार्यान्वित एवं योजनाओं की पूर्ति के लिए समस्त कार्यों की देखभाल करना, प्रेरणा देना एवं नियंत्रण करना आदि।

(ख) व्यवस्थापिका समिति की बैठक का संचालन करना।

(ग) संस्था का वार्षिक साधारण अधिवेशन एवं असाधारण अधिवेशन बुलाना एवं संचालन करना।

(घ) संस्था के उद्देश्यार्थ अनुमान पत्रक में स्वीकृत की गई राशियों में से अथवा उसके अतिरिक्त पाँच हजार रूपये तक व्यय करने का अधिकार होगा।

(ब) उपाध्यक्ष :

अध्यक्ष के कार्यों में सहयोग देना एवं उनकी अनुपस्थिति में उनके स्थान पर कार्य करना।

(स) मंत्री :

(क) संस्था के वार्षिक साधारण अधिवेशन तथा असाधारण अधिवेशन एवं व्यवस्थापिका समिति के निर्णयों के अनुसार या अध्यक्ष के निर्देशानुसार संस्था के कार्य का संचालन करना।

(ख) संस्था की और से सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करना।

(ग) संस्था के प्रधान कार्यालय, विभिन्न समितियों एवं शाखाओं का नियंत्रण करना और सम्पूर्ण रेकॉर्ड सुरक्षित रखना।

(घ) संस्था की सम्पत्ति का समुचित प्रबंध करना।

(ङ) त्रैमासिक तथा आवश्यकतानुसार व्यवस्थापिका समिति की बैठक बुलाना एवं इन बैठकों व साधारण एवं असाधारण अधिवेशन की कार्यवाहियों को रजिस्टर में लिखना और आगामी बैठक में पारित करवाकर अध्यक्ष के हस्ताक्षर लेना।

(च) संस्था की और से सदस्यता शुल्क, चन्दा, दान, किराया आदि वसूल करना व रजिस्टर में लिखना। अनुमान-पत्रक (बजट) के अनुसार व्यय करना एवं आय व्यय का समुचित हिसाब रखने में कोषाध्यक्ष की सहायता करना। आगामी वित्त वर्ष का अनुमान पत्रक चालू वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व तैयार करने में कोषाध्यक्ष को

सहयोग देना।

(छ) संस्था की विभिन्न समितियों के लिए अध्यक्ष की सलाह से कर्मचारी नियुक्त करना।

(ज) मंत्री को सामान्यतः अध्यक्ष की अनुमति से रूपये १०००.०० तक व्यय करने का अधिकार होगा और विशेष व्यय के लिए व्यवस्थापिका समिति से अनुमति लेनी होगी।

(झ) संस्था की स्वीकृत योजनाओं को कार्यान्वित करना।

(द) उपमंत्री :

मंत्री के कार्यों में सहयोग देना एवं उनकी अनुपस्थिति में उनके स्थान पर कार्य करना।

(प) कोषाध्यक्ष :

(क) संस्था की ओर से सदस्यता शुल्क, दान, चंदा, किराया आदि वसूल करना और उसकी रसीद देना एवं आय-व्यय का हिसाब मंत्री के सहयोग से रखना।

(ख) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मंत्री द्वारा स्वीकृत धनराशि चुकाना एवं व्यवस्थापिका समिति द्वारा विभागों एवं समितियों के लिए स्वीकृत धनराशियों में से उनके संयोजक के निर्देशानुसार रकम चुकाना।

(ग) संस्था का वार्षिक हिसाब तैयार करना एवं लेखा-परीक्षक द्वारा जाँचा हुआ स्थिति विवरण एवं आय-व्यय विवरण व्यवस्थापिका समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

(घ) आगामी वित्त वर्ष के लिए अनुमान पत्रक चालू वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व मंत्री के सहयोग से व्यवस्थापिका समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

१२. संविधान संशोधन :

संविधान संशोधन करने का अधिकार इसी उद्देश्य से बुलाये गये असाधारण अधिवेशन को होगा, जो केवल व्यवस्थापिका समिति द्वारा प्रस्तावित होने पर ही हो सकेगा। सभी निर्णय उपस्थित सदस्यों के ३/४ बहुमत होने पर ही हो सकेगें।

१३. समाप्ति :

संस्था के बन्द होने पर इसके ऋण या देना चुकाने के बाद जो सम्पत्ति बचेगी वह संस्था के सदस्यों में न बाँटी जाकर इसी कार्य के लिए बुलाये गये असाधारण अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के कम से कम ३/४ बहुमत से स्वीकृत होने पर संस्था के उद्देश्यों से मिलते जुलते उद्देश्यों या ऐसे ही उद्देश्योंवाली संस्था अथवा संस्थाओं को दे दी जायेगी।

"परिशिष्ठ (अ)"
चुनाव संबंधी उपनियम

१. व्यवस्थापिका समिति के लिए ११ सदस्यों का संविधान धारा (९) (क) और (ख) के अनुसार निर्वाचन करना।

२. कोई भी व्यक्ति जो चुनाव की तारीख से कम से कम ३० दिन पूर्व संस्था का सदस्य न होगा, ऐसे सदस्य को चुनाव में खड़े रहने, किसी भी सदस्य को प्रस्तावक या अनुमोदन करने या मत देने का अधिकार न होगा।

३. जिस साधारण सदस्य का बकाया शुल्क प्राप्त नहीं हुआ हो तो वह चुनाव में उम्मीदवार होने एवं मत संबंधी सभी अधिकारों से वंचित रहेगा।

४. चुनाव निर्धारीत स्थान, तारीख व समय पर होगा।

५. प्रत्येक सदस्य को अधिक से अधिक ११ उम्मेदवार को मतदान करने का अधिकार रहेगा। यदि किसी सदस्य ने ११ से अधिक उम्मेदवार को मत दिया तो ऐसे मतदान पत्र अवैध माने जावेंगे।

६. उपस्थित सदस्य को ही मत देने का अधिकार होगा। डाक या प्रोक्सी द्वारा प्रेषित मत स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

७. समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष को एक मत अधिक देने का अधिकार रहेगा।

८. चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी व्यवस्थापिका समिति का सदस्य व चुनाव में उम्मीदवार न होगा एवं आवश्यकतानुसार चुनाव अधिकारी की सम्मति से चुनाव में सहयोग के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकेगा।

९. चुनाव अधिकारी का फैसला सबको मान्य रहेगा।

१०. जो सदस्य व्यवस्थापिका समिति के लिए उम्मेदवार होना चाहे, उस सदस्य को मनोनयन-पत्र भरकर निर्धारित स्थान, तारीख व समय तक भेजना होगा।

११. यदि ऐसे मनोनयन-पत्र अपूर्ण पाये गए अथवा निर्धारित स्थान, तारीख व समय तक प्राप्त नहीं हुए तो उन पर विचार नहीं किया जावेगा व उनको अवैध तथा अस्वीकार किये जावेंगे।

१२. यदि आवेदन करने की निर्धारित तारीख को अवकाश हो अथवा कोई कारणवश अवकाश घोषित हुआ हो, तो उसके दूसरे दिन इच्छुक सदस्य अपना मनोनयन-पत्र भरकर निर्धारित स्थान व निर्धारित समय तक भेज सकते हैं। ऐसे प्राप्त मनोनयन-पत्र अवैधानिक नहीं माने जावेंगे।

१३. किसी कारणवश किसी सदस्य को अधिवेशन की सूचना न मिले तो ऐसे चुनाव अवैधानिक नहीं माने जावेंगे।

१४. किसी कारणवश निर्धारित स्थान, तारीख व समय पर चुनाव नहीं हो सके तो व्यवस्थापिका समिति को चुनाव सम्बधी दूसरा समय-पत्रक बनाने का अधिकार रहेगा, जिसकी सूचना सभी सदस्यों को दी जावेगी।

१५. अध्यक्ष द्वारा, परिणाम घोषित होने के १५ मिनिट की अवधि तक चुनाव में खड़े उम्मेदवार को मतों की गिनती पुनः कराने का अधिकार रहेगा।